भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>अधिसूचना सं0 12/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांक 24 जून, 2016

विषयः <u>चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक</u>।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, आईटीसी (एचएस) 2012, की अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों सहित) के आयात पर अधिसूचना सं. 12 /2015–2020, दिनांक 24.06.2015 के अनुसार दिनांक 23.06.2016 तक रोक है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में यथा उल्लिखित चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक को एक और वर्ष के लिए अर्थात 23.06.2017 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

4. **<u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>**

चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों सहित) के आयात पर रोक को एक और वर्ष के लिए अर्थात 23.06.2017 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

(अजय कुमार भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/898/एएम99/पीसी–2(ए) से जारी)